बिहार विधान परिषद्
दैनन्दिनी/दूरभाष निर्देशिका 2014 के मुद्रण के संबंध में प्राक्कलन

1. निविदा के कभर पर संस्थान का नाम एवं दूरभाष संख्या चाहिये

2. निविदादाता संस्थान, बिहार राज्य वैट/वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण के साथ अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र निवेदन में संलग्न करें। दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण से जुडे कार्य अनुभव अनिवार्य हैं। संबंधित प्रमाण/नमूना भी प्रस्तुत करें।

3. दैनन्दिनी एवं दूरभाष निर्देशिका की संख्या 2000+2000 होगी। दैनन्दिनी के पृष्ठों की संख्या 346 होगी एवं आकार 24x18 से.मी. होगा। निर्देशिका के पृष्ठों की संख्या 325 होगी। नमूना एवं मुद्रण से संबंधित विस्तृत जानकारी कार्यालय अवधि में प्रकाशन शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

4. दैनन्दिनी/दूरभाष निर्देशिका का मुद्रण मैपलिथो पेपर (रूलदार) 75 जी.एस.एम. पर होगा कभर पेपर पर (रेक्सीन पर बिहार विधान परिषद् का फोटो एवं बौद्ध वृक्ष) अंदर में 5 कलर फोटोग्राफ्स, 2014 एवं 15 की दिनपत्री, पंचांग भाग में पहला पृष्ठ एवं अंतिम पृष्ठ एक पृष्ठ का होगा जबकि शेष पृष्ठ में दो तिथि अंकित रहेंगे।

5. जमानत की राशि दैनन्दिनी 2014 के लिये 30,000/ (तीस हजार) रुपये मात्र एवं दूरभाष निर्देशिका के लिए लिये 20,000 रुपये मात्र न्यूनतम दर प्राप्त संस्थान को कार्यादेश निर्गत से पूर्व रोकडपाल के पास जमा करना है जिसकी प्राप्ति वह देगा। जमा की गई राशि की वापसी मुद्रित दैनन्दिनी/निर्देशिका की आपूर्ति के बाद की जायेगी।

6. दैनन्दिनी/निर्देशिका चयनित नमूना के अनुरूप रहना चाहिए। मुद्रण में अशुद्धि/त्रुटि/अस्पष्टता/कमजोर बाइडिंग/ससमय आपूर्ति में विफलता की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

7. निविदा में प्रति दैनन्दिनी/निर्देशिका का दर स्पष्ट अंकित रहना चाहिये, एक से अधिक दर पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. सभी प्राक्कलन संयोजक, केन्द्रीय क्रय समिति के कार्यालय कक्ष में 29.11.13 को 4.00 बजे अप. खोले जायेंगे जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

9. किसी अथवा सभी प्राक्कलन को बिना कारण बताये रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार संयोजक केन्द्रीय क्रय समिति बिहार विधान परिषद् को होगा।

जयकुमार प्रसाद
अवर सचिव